



भारत सरकार  
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय  
वाणिज्य विभाग  
विकास आयुक्त का कार्यालय  
नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र  
नोएडा-दादरी रोड, फेज-2, नोएडा - 201305 (उत्तर प्रदेश)  
दूरभाष (जोन कार्यालय): 0120 - 2567268-70 (3 लाइनें), फैक्स: 2562314, 2567276  
ईमेल <dc@nsez.gov.in>; वेबसाइट: [www.nsez.gov.in](http://www.nsez.gov.in)

फा० सं० 10/07/2022-SEZ/

दिनांक: 14/03/2024

(ई मेल के माध्यम से)

सेवा में,

1. निदेशक(एस०ई०जेड०), वाणिज्य विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार, उद्योग भवन, नई दिल्ली -110001।
2. अतिरिक्त महानिदेशक विदेश व्यापार, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, 'ए' विंग, इंद्रप्रस्थ भवन, आई पी एस्टेट, नई दिल्ली - 110002
3. मुख्य आयुक्त, सीमा शुल्क (निवारक), न्यू कस्टम हाउस, नियर आईजीआई एअरपोर्ट, नई दिल्ली - 110037 ।
4. मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं उत्पाद शुल्क, एस सी ओ नं 407 & 408, सेक्टर- 8, पंचकुला (हरियाणा) ।
5. आयुक्त, आयकर, एचएसआईआईसी बिल्डिंग, 4<sup>th</sup> फ्लोर, उद्योग विहार, फेज-5, गुडगांव (हरियाणा)।
6. आयुक्त, आयकर, सेन्ट्रल सर्कल- II, सी जी ओ कॉम्प्लेक्स, एनएच 4, फरीदाबाद, (हरियाणा) ।
7. उपसचिव (आई एफ - 1), बैंकिंग प्रभाग, आर्थिक मामलों का विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार, तृतीय तल, जीवन दीप बिल्डिंग संसद मार्ग, नई दिल्ली।
8. निदेशक, उद्योग एवं वाणिज्य विभाग, हरियाणा सरकार, 30 बेज़ बिल्डिंग, सेक्टर 17, चंडीगढ़।
9. प्रबंध निदेशक, हरियाणा राज्य औद्योगिक विकास निगम, हरियाणा सरकार, प्लॉट नं सी -13 व 14, सेक्टर 6 पंचकुला, (हरियाणा)।
10. सैनियर टाउन प्लानर, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग (एच क्यू), एस सी ओ :71-75, सेक्टर 17C, चंडीगढ़।
11. संयुक्त निदेशक, जिला उद्योग केंद्र, प्लॉट नं 2, आई डी सी, गुडगांव (हरियाणा)।
12. संयुक्त निदेशक, जिला उद्योग केंद्र, नीलम चौक, फरीदाबाद (हरियाणा)।
13. संबंधित विशेष आर्थिक क्षेत्र विकासकर्ता ।

विषय: हरियाणा राज्य में स्थित निजी विशेष आर्थिक क्षेत्रों के संबंध में श्री ए० बिपिन मेनन, विकास आयुक्त, नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र की अध्यक्षता में अनुमोदन समिति की दिनांक 07/03/2024 को पूर्वाह्न 10:30 बजे आयोजित बैठक का कार्यवृत्त - एतद संबंधी।


महोदय,

उपरोक्त विषय के सन्दर्भ में हरियाणा राज्य में स्थित निजी विशेष आर्थिक क्षेत्रों के संबंध में श्री ए० बिपिन मेनन, विकास आयुक्त, नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र की अध्यक्षता में अनुमोदन समिति की दिनांक 07/03/2024 को पूर्वाह्न 10:30 बजे आयोजित बैठक का कार्यवृत्त संलग्न है।

संलग्नक : उपरोक्त

प्रतिलिपि:-

1. सम्बंधित निर्दिष्ट अधिकारी ।

भवदीय,  
  
(राजेश कुमार) 14/3/2024  
उप विकास आयुक्त

### नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र

**श्री ए. बिपिन मेनन, विकास आयुक्त, नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र की अध्यक्षता में 07.03.2023 को सुबह 10:30 बजे हरियाणा राज्य में स्थित विशेष आर्थिक क्षेत्र के संबंध में अनुमोदन समिति की बैठक का विवरण।**

बैठक के दौरान अनुमोदन समिति के निम्नलिखित सदस्य उपस्थित थे:-

1. श्री सुरेंद्र मलिक, संयुक्त विकास आयुक्त, नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र।
2. श्री वरुण कुमार, उपायुक्त, सीमा शुल्क, गुरुग्राम।
3. श्री अशोक कुमार, आईईओ, उद्योग विभाग, गुरुग्राम।
4. श्री जगदीश चंदर, सहायक डीजीएफटी, कार्यालय डीजीएफटी, सीएलए, नई दिल्ली।

इसके अलावा, बैठक के दौरान (i) श्री राजेश कुमार, उप विकास आयुक्त, (ii) श्री वाई.के. कांवरिया, निर्दिष्ट अधिकारी, (iii) श्री प्रमोद कुमार, सहायक विकास आयुक्त और (iv) श्री सुनील गुलियानी, आशुलिपिक/डीलिंग हैंड, भी अनुमोदन समिति की सहायता के लिए उपस्थित थे। बताया गया कि गणपूर्ति उपलब्ध है और बैठक आगे बढ़ सकती है।

प्रारंभ में अध्यक्ष ने प्रतिभागियों का स्वागत किया। संक्षिप्त परिचय के बाद क्रमवार कार्यसूची पर विचार किया गया। अनुमोदन समिति के सदस्यों के बीच विस्तृत विचार-विमर्श के साथ-साथ आवेदकों/विकासक/इकाइयों के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत के बाद, निम्नलिखित निर्णय सर्वसम्मति से लिए गए:-

#### 1. दिनांक 01.02.2024 को आयोजित अनुमोदन समिति की बैठक के कार्यवृत्त का अनुसमर्थन: -

चूंकि 01.02.2024 को आयोजित अनुमोदन समिति के निर्णयों के संबंध में अनुमोदन समिति या व्यापार के किसी भी सदस्य से कोई संदर्भ प्राप्त नहीं हुआ था, 01.02.2024 को आयोजित बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि की गई थी।

#### मद संख्या 2: अधिकृत संचालन के लिए सामग्रियों की सूची के अनुमोदन का प्रस्ताव।

#### 2.1 मैसर्स डीएलएफ पावर एंड सर्विसेज लिमिटेड, सह-विकासक (डीएलएफ साइबर सिटी विशेष आर्थिक क्षेत्र)।

2.1.1 मैसर्स डीएलएफ पावर एंड सर्विसेज लिमिटेड के महाप्रबंधक श्री तिलक खुराना वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक में शामिल हुए और प्रस्तावित सामग्रियों की आवश्यकता के बारे में बताया।

2.1.2 अनुमोदन समिति ने प्रस्ताव पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद डीएलएफ साइबर सिटी डेवलपर्स लिमिटेड आईटी/आईटीईएस विशेष आर्थिक क्षेत्र में सेक्टर 24 और 25ए, डीएलएफ चरण-III, गुरुग्राम (हरियाणा) में निम्नलिखित अधिकृत संचालन जारी रखने के लिए सह-विकासक मैसर्स डीएलएफ पावर एंड सर्विसेज लिमिटेड द्वारा प्रस्तावित सामग्रियों की सूची को मंजूरी दे दी: -

| क्र.सं. | अधिकृत संचालन का नाम   | क्रमांक संख्या 50 और 54 के अनुसार सामग्री की डिफॉल्ट सूची पर संख्या | अनुमानित लागत (लाख रुपये में) |
|---------|--|---|-------------------------------|
| i.      | अभियांत्रिकी, रखरखाव, जिसमें विद्युतीय, और यांत्रिक, कार्य शामिल हैं जिसमें वायु-संचालन, और वातानुकूलन, (एचवीएसी) अग्नि यंत्र प्रणाली, शामिल है और अलार्म प्रणाली, जल आपूर्ति, तूफान, जल निकासी और सीवेज निपटान, | बीओए द्वारा अनुमोदित अधिकृत संचालन के अनुसार                        | 10.57                         |

सुरेंद्र मलिक

| क्र.सं. | अधिकृत संचालन का नाम  | क्रमांक संख्या 50 और 54 के अनुसार सामग्री की डिफॉल्ट सूची पर संख्या | अनुमानित लागत (लाख रुपये में) |
|---------|---|---|-------------------------------|
|         | भवन रखरखाव सेवाएं, जिसमें लिफ्ट लॉबी, सम्मेलन हॉल, पार्किंग क्षेत्र, उपयोगिता क्षेत्र, कचरा और स्क्रेप निपटान, बागवानी कीट नियंत्रण, अग्रभाग सफाई सेवाएं शामिल हैं। |   |                               |
|         |   | <b>कुल:</b>   | <b>10.57</b>                  |

2.1.3 यह अनुमोदन इस शर्त के अधीन है कि निर्दिष्ट अधिकारी यह सुनिश्चित करेगा कि आयात के लिए 'प्रतिबंधित/निषिद्ध' उत्पादों की खरीद की अनुमति नहीं दी जाएगी।

## 2.2 मेसर्स एएसएफ इंसिग्रिया विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राइवेट लिमिटेड, डेवलपर (एचएसडी)।

2.2.1 मेसर्स एएसएफ इंसिग्रिया विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राइवेट लिमिटेड, विकासक ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए 185.03 लाख रुपये के 284.657 केएल (284657 लीटर) हाई स्पीड डीजल (एचएसडी) की कर/शुल्क मुक्त खरीद के लिए एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। यह वित्त वर्ष 2023-24 (01.04.2023 से 31.01.2024) के 10 महीनों के दौरान औसत मासिक खपत पर आधारित था, और इसे 'पावर (पावर बैकअप सुविधाओं सहित)' नामक अधिकृत संचालन जारी रखना था। दिनांक 16.02.2016 के बिजली दिशानिर्देशों के अनुसार, इन परिचालनों को ग्राम ग्वाल पहाड़ी, गुरुग्राम (हरियाणा) में अपने आईटी/आईटीईएस विशेष आर्थिक क्षेत्र में प्रसंस्करण क्षेत्र में बीओए द्वारा अनुमोदित किया गया था। औसत मासिक खपत 28465.70 लीटर प्रति माह है।

2.2.2 मेसर्स एएसएफ इंसिग्रिया विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राइवेट लिमिटेड के डीजीएम श्री अशोक कुमार सिंह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक में शामिल हुए और प्रस्ताव के बारे में बताया।

2.2.3 उचित विचार-विमर्श के बाद, अनुमोदन समिति ने सर्वसम्मति से वित्त वर्ष 2024-25 के लिए 185.03 लाख रुपये के 284.657 केएल (284657 लीटर) हाई स्पीड डीजल (एचएसडी) की शुल्क मुक्त खरीद के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दे दी (औसत मासिक खपत 28465.70 लीटर प्रति माह)। यह अनुमोदन भारत सरकार के वाणिज्य विभाग द्वारा पत्र संख्या पी.6/3/2006-SEZ(खंड-III) दिनांक 16.02.2016 द्वारा जारी विशेष आर्थिक क्षेत्र (विशेष आर्थिक क्षेत्र) में बिजली उत्पादन, पारेषण और वितरण के लिए दिशानिर्देशों के पैरा (vi) के प्रावधानों के अनुपालन के अधीन है। अनुमोदन पर्यावरण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के वर्तमान परिपत्र/अधिसूचना, यदि कोई हो, के अनुपालन की पुष्टि के अधीन है। इसके अलावा, समिति ने निर्देश दिया कि विकासक वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए एचएसडी खपत का विवरण प्रस्तुत करेगा, जिसे निर्दिष्ट अधिकारी द्वारा विधिवत सत्यापित किया जाएगा, और यदि वित्त वर्ष 2023-24 के पूरा होने के बाद एचएसडी खपत में कोई बदलाव पाया जाता है, इसे अनुमोदन समिति के समक्ष रखा जाएगा।

## 2.3 मेसर्स एएसएफ इंसिग्रिया विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राइवेट लिमिटेड, विकासक

2.3.1 मेसर्स एएसएफ इंसिग्रिया विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राइवेट लिमिटेड के डीजीएम श्री अशोक कुमार सिंह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक में शामिल हुए और प्रस्तावित वस्तुओं की आवश्यकता के बारे में बताया।

2.3.2 अनुमोदन समिति ने प्रस्ताव पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद ग्राम ग्वाल पहाड़ी, गुरुग्राम (हरियाणा) में अपने आईटी/आईटीईएस विशेष आर्थिक क्षेत्र में निम्नलिखित अधिकृत संचालन जारी रखने के लिए विकासक मेसर्स एएसएफ इंसिग्रिया विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राइवेट लिमिटेड द्वारा प्रस्तावित सामग्रियों की सूची को मंजूरी दे दी: -

**सुरेंद्र मलिक**

| क्र.सं. | अधिकृत संचालन   | क्रमांक संख्या 50 और 54 के अनुसार सामग्री की डिफॉल्ट सूची पर संख्या | अनुमानित लागत (लाख रुपये में) |
|---------|---|---|-------------------------------|
| 1       | प्रसंस्करण क्षेत्र में इकाई अनुमोदन समिति द्वारा अनुमोदित सभी प्रकार के भवनों का निर्माण। | 22  | 6.87                          |
|         |   | <b>कुल:</b>   | <b>6.87</b>                   |

2.3.3 यह अनुमोदन विकासक द्वारा 'एसएमपीएस' का पूरा फॉर्म जमा करने के अधीन है। यह अनुमोदन इस शर्त के अधीन है कि निर्दिष्ट अधिकारी यह सुनिश्चित करेगा कि आयात के लिए 'प्रतिबंधित/निषिद्ध' उत्पादों की खरीद की अनुमति नहीं दी जाएगी।

### **मद संख्या 3: विशेष आर्थिक क्षेत्र इकाइयों के स्वीकृति पत्र के विलय का प्रस्ताव:-**

#### **3.1 मेसर्स एक्सचेंजर सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड।**

3.1.1 मेसर्स एक्सचेंजर सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड ने अपनी स्थित इकाई के स्वीकृति पत्र नंबर एसटीपीआई/ विशेष आर्थिक क्षेत्र/इकाई/03/28/362 दिनांक 24.09.2008 को स्वीकृति पत्र नंबर 10/37/2011- विशेष आर्थिक क्षेत्र/3011 दिनांक 27.04.2011 में विलय के लिए गुडगांव इंफोस्पेस लिमिटेड आईटी/आईटीईएस विशेष आर्थिक क्षेत्र, ग्राम डूंडाहेड़ा, सेक्टर- 21, गुडगांव (हरियाणा) में प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। इकाई ने उल्लेख किया है कि वे अधिकृत संचालन अर्थात् 'कंप्यूटर सॉफ्टवेयर/आईटी सक्षम सेवाओं' के लिए स्वीकृति पत्र संख्या 10/37/2011- विशेष आर्थिक क्षेत्र/3011 दिनांक 27.04.2011 को जारी रखेंगे। इकाई ने उपरोक्त स्वीकृति पत्र के विलय पर संशोधित समेकित अनुमान प्रस्तुत किए हैं, जैसा कि नीचे दिया गया है: -

| क्र.सं. | विवरण (5 वर्ष के लिए)  | अनुमान (रुपये लाख में) |
|---------|------------------------|------------------------|
| 1       | निर्यात का एफओबी मूल्य | 2008936.00             |
| 2       | विदेशी मुद्रा निकासी   | 611.93.00              |
| 3       | निवल विदेशी मुद्रा आय  | 1966603.00             |
| 4       | आयातित पूंजीगत सामान   | 16715.00               |
| 5       | स्वदेशी पूंजीगत सामान  | 39505.00               |
| 6       | आयातित इनपुट सेवाएं    | 0.00                   |
| 7       | स्वदेशी इनपुट सेवाएं   | 147334.00              |
| 8       | रोज़गार                | 25032 संख्या           |

3.1.2 समिति ने पाया कि विशेष आर्थिक क्षेत्र नियम, 2006 के नियम 19(2) के प्रावधान 4 के अनुसार, अनुमोदन समिति एक ही कंपनी या फर्म की दो या दो से अधिक इकाइयों के अनुमोदन पत्रों के विलय के प्रस्तावों को मंजूरी दे सकती है, बशर्ते कि ये इकाइयां उसी विशेष आर्थिक क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं। इसके अलावा, विलय के बाद, शुद्ध विदेशी मुद्रा की गणना के लिए ब्लॉक अवधि उस इकाई के उत्पादन शुरू होने की तारीख से होगी जो पहले शुरू हुई थी। आयकर छूट पहली इकाई के संचालन शुरू होने की तारीख से मानी जाएगी।

3.1.3 इकाई ने अनुरोध किया है कि उन्हें स्वीकृति पत्र नंबर एसटीपीआई/ विशेष आर्थिक क्षेत्र/इकाई/03/28/362 दिनांक 24.09.2008 के तहत इकाई के संबंध में अगले 3 महीनों के लिए यानी 01.04.2024 से अपनी शेष लेनदेन गतिविधियों जैसे मासिक सॉफ्टवेक्स और सेवा/वस्तु चालान पृष्ठांकन को बंद करने के लिए एनएसडीएल पोर्टल तक पहुंचने की अनुमति दी जाए।

**सुरेंद्र मलिक**

3.1.4 मेसर्स एक्सेचर सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड के महाप्रबंधक श्री धर्म युधिष्ठिर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक में शामिल हुए और प्रस्ताव के बारे में बताया।

3.1.5 अनुमोदन समिति ने प्रस्ताव पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद, समिति ने स्वीकृति पत्र संख्या एसटीपीआई/ विशेष आर्थिक क्षेत्र/इकाई/03/28/362 दिनांक 24.09.2008 को स्वीकृति पत्र संख्या 10/37/2011- विशेष आर्थिक क्षेत्र/3011 दिनांक 27.04.2011, विशेष आर्थिक क्षेत्र नियम, 2006 के नियम 19(2) के प्रावधान 4 के संदर्भ में विलय के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। यह अनुमोदन इस शर्त के अधीन है कि विलय के बाद, शुद्ध विदेशी मुद्रा की गणना के लिए ब्लॉक अवधि इकाई के उत्पादन शुरू होने की तारीख से होगी जो पहले शुरू हुई थी यानी 15.12.2008 से और आयकर छूट उस तारीख से मानी जाएगी पहली इकाई का संचालन 15.12.2008 से शुरू हुआ। विलय किए गए स्वीकृति पत्र की वर्तमान ब्लॉक अवधि 15.12.2023 से 14.12.2028 तक होगी। विलय 01.04.2024 से प्रभावी होगा। समिति ने स्वीकृति पत्र संख्या एसटीपीआई/ विशेष आर्थिक क्षेत्र/इकाई/03/28/362 दिनांक 24.09.2008 के तहत इकाई के संबंध में एनएसडीएल पोर्टल तक पहुंच की अनुमति केवल 30.06.2024 तक केवल मासिक सॉफ्टवेक्स और सेवा/वस्तु चालान पृष्ठांकन दाखिल करने जैसी उनकी शेष लेनदेन गतिविधियों को बंद करने के लिए दी थी। इसके अलावा, विलय के बाद स्वीकृति पत्र दिनांक 24.09.2008 के तहत किसी भी नई गतिविधियों की अनुमति नहीं दी जाएगी। समिति ने विशेष आर्थिक क्षेत्र अनुभाग को तदनुसार इकाइयों को मंजूरी देने का निर्देश दिया। यह अनुमोदन निम्नलिखित दस्तावेजों को प्रस्तुत करने पर आधारित है:-

- 67 सेवाओं की डिफॉल्ट सूची के अनुसार विवरण देते हुए 147334.00 लाख रुपये की स्वदेशी इनपुट सेवाओं की सूची।
- स्वीकृति पत्र के विलय के लिए विशेष आर्थिक क्षेत्र विकास से 'अनापत्ति प्रमाण पत्र'।

### 3.2 मेसर्स कॉग्निजेंट टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड

3.2.1 मेसर्स कॉग्निजेंट टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने अपनी स्थित इकाई में कैंडर गुड़गांव वन रियल्टी प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड आईटी/आईटीईएस विशेष आर्थिक क्षेत्र ग्राम टिकरी, सेक्टर-48, गुरुग्राम (हरियाणा) में स्वीकृति पत्र नंबर 10/58/2012- विशेष आर्थिक क्षेत्र/6639 दिनांक 31.08.2012 को स्वीकृति पत्र नंबर 10/19/2012- विशेष आर्थिक क्षेत्र/2481 दिनांक 11.04.2012 में विलय के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। इकाई ने उपरोक्त स्वीकृति पत्र के विलय पर संशोधित समेकित अनुमान प्रस्तुत किए हैं, जैसा कि नीचे दिया गया है: -

| क्र.सं. | विवरण (5 वर्ष के लिए)  | अनुमान (रुपये लाख में) |
|---------|------------------------|------------------------|
| 1       | निर्यात का एफओबी मूल्य | 185006.14              |
| 2       | विदेशी मुद्रा निकासी   | 4073.30                |
| 3       | निवल विदेशी मुद्रा आय  | 180932.84              |
| 4       | आयातित पूंजीगत सामान   | उपलब्ध नहीं कराया      |
| 5       | स्वदेशी पूंजीगत सामान  | उपलब्ध नहीं कराया      |
| 6       | आयातित इनपुट सेवाएं    | उपलब्ध नहीं कराया      |
| 7       | स्वदेशी इनपुट सेवाएं   | उपलब्ध नहीं कराया      |
| 8       | रोज़गार                | 8500 संख्या            |

3.2.2 समिति ने पाया कि विशेष आर्थिक क्षेत्र नियम, 2006 के नियम 19(2) के प्रावधान 4 के अनुसार, अनुमोदन समिति एक ही कंपनी या फर्म की दो या दो से अधिक इकाइयों के अनुमोदन पत्रों के विलय के प्रस्तावों को मंजूरी दे सकती है, बशर्ते कि ये इकाइयां उसी विशेष आर्थिक क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं। इसके अलावा, विलय के बाद, शुद्ध विदेशी मुद्रा की गणना के लिए ब्लॉक अवधि उस इकाई के उत्पादन की शुरुआत की तारीख से होगी जो पहले शुरू हुई थी और आयकर छूट पहली इकाई के संचालन की शुरुआत की तारीख से मानी जाएगी।

सुरेंद्र मलिक

3.2.3 समिति ने पाया कि इकाई ने उल्लेख किया है कि वे एकल स्वीकृति पत्र संख्या 10/19/2012- विशेष आर्थिक क्षेत्र/2481 दिनांक 11.04.2012 के तहत परिचालन का विलय करना चाहते हैं, जिसका परिचालन पहले ही शुरू हो चुका है। जबकि, रिकॉर्ड के अनुसार, स्वीकृति पत्र नंबर 10/58/2012- विशेष आर्थिक क्षेत्र/6639 दिनांक 31.08.2012 (इकाई-II) के तहत इकाई ने अपना परिचालन सबसे पहले यानी 18.03.2013 से शुरू किया था, जबकि स्वीकृति पत्र नंबर 10/19/2012 - विशेष आर्थिक क्षेत्र/2481 दिनांक 11.04.2012 ने 17.05.2013 को परिचालन की सराहना के तहत इकाई ने अपना परिचालन शुरू किया था।

3.2.4 मेसर्स कॉन्फ्रेंसिंग टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के वरिष्ठ प्रबंधक श्री पार्थसारथी के, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक में शामिल हुए और प्रस्ताव के बारे में बताया। अनुमोदन समिति ने उन्हें सूचित किया कि इकाई - II (स्वीकृति पत्र दिनांक 31.08.2012) ने नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र रिकॉर्ड के अनुसार सबसे पहले अपना परिचालन शुरू किया था।

3.2.5 अनुमोदन समिति ने प्रस्ताव पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद, समिति ने स्वीकृति पत्र संख्या 10/19/2012- विशेष आर्थिक क्षेत्र/2481 दिनांक 11.04.2012 को स्वीकृति पत्र संख्या 10/58/2012- विशेष आर्थिक क्षेत्र/6639 दिनांक 31.08.2012, विशेष आर्थिक क्षेत्र नियम, 2006 के नियम 19(2) के प्रावधान 4 के संदर्भ में विलय के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। यह अनुमोदन इस शर्त के अधीन है कि विलय के बाद, शुद्ध विदेशी मुद्रा की गणना के लिए ब्लॉक अवधि इकाई के उत्पादन की शुरुआत की तारीख से होगी जो पहले शुरू हुई थी यानी 18.03.2013 से और आयकर छूट की तारीख 18.03.2013 से पहली इकाई का परिचालन से प्रारंभ विचार किया जाएगा। विलय किए गए स्वीकृति पत्र की वर्तमान ब्लॉक अवधि 18.03.2023 से 17.03.2028 तक होगी, जो वर्तमान वैधता से परे स्वीकृति पत्र के नवीनीकरण के अधीन होगी। यह अनुमोदन निम्नलिखित दस्तावेजों को प्रस्तुत करने पर आधारित है:-

- इकाई को स्वीकृति पत्र के विलय पर आयातित और स्वदेशी पूंजीगत वस्तुओं के साथ-साथ आयातित और स्वदेशी इनपुट सेवाओं के लिए संयुक्त अनुमान प्रस्तुत करने की आवश्यकता है। 67 सेवाओं की डिफॉल्ट सूची के अनुसार विवरण देते हुए आयातित और स्वदेशी इनपुट सेवाओं की सूची भी प्रस्तुत की जानी आवश्यक है।
- इकाई-I के संबंध में 2013-14 से 2019-20 की अवधि के दौरान घरेलू प्रशुल्क क्षेत्र में सेवाओं की बिक्री का मामला दिनांक 07.03.2022 के तहत निर्णय लिया गया है। इकाई ने 2,14,652/- रुपये की जुर्माना राशि जमा कर दी है। हालाँकि, वित्त वर्ष 2020-21 से 2022-23 के वार्षिक प्रदर्शन रिपोर्ट और दिए गए विवरण के अनुसार, इकाई ने भारतीय रुपये के मुकाबले 1199.56 लाख रुपये की घरेलू प्रशुल्क क्षेत्र बिक्री की है।
- इकाई-II के वित्त वर्ष 2013-14 से 2022-23 के वार्षिक प्रदर्शन रिपोर्ट में इकाई ने 627.51 लाख रुपये की घरेलू प्रशुल्क क्षेत्र बिक्री दिखाई है। इसलिए, इकाई को भारतीय रुपये में प्राप्त भुगतान के विरुद्ध घरेलू प्रशुल्क क्षेत्र में सेवाओं की बिक्री का विवरण प्रदान करने की आवश्यकता है।
- दोनों इकाइयों के परिसर के संबंध में वैध पंजीकृत पट्टा विलेख की प्रतियां जमा करना आवश्यक है।
- स्वीकृति पत्र के विलय के लिए इकाई को विशेष आर्थिक क्षेत्र विकासक से 'अनापत्ति प्रमाण पत्र' जमा करने की आवश्यकता है।

#### **मद संख्या 4: इकाई का नाम/शेयरधारिता स्वरूप बदलने का प्रस्ताव:-**

##### **4.1 मैसर्स एब्सोल्यूट डेटा रिसर्च एंड एनालिटिक्स सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड**

4.1.1 मेसर्स एब्सोल्यूट डेटा रिसर्च एंड एनालिटिक्स सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड के उप प्रबंधक-वित्त एवं लेखा श्री राजेश कुमार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक में शामिल हुए और प्रस्ताव के बारे में बताया।

4.1.2 अनुमोदन समिति ने प्रस्ताव पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद दिए गए विवरण के अनुसार, 'एब्सोल्यूट डेटा रिसर्च एंड एनालिटिक्स सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड' से 'इन्फोगेन सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस

**सुरेंद्र मलिक**

प्राइवेट लिमिटेड' का नाम बदलने और कंपनी के शेयरधारिता स्वरूप में बदलाव के कार्यसूची में, डीएलएफ साइबर सिटी डेवलपर्स लिमिटेड आईटी/आईटीईएस विशेष आर्थिक क्षेत्र, सेक्टर-24 और 25ए, डीएलएफ चरण-III, गुरुग्राम (हरियाणा) में स्थित विशेष आर्थिक क्षेत्र इकाई के संबंध में प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। यह वाणिज्य विभाग द्वारा जारी निर्देश संख्या 109 दिनांक 18.10.2021 के संदर्भ में है, जो उसमें निर्धारित सुरक्षा उपायों के अनुपालन के अधीन है।

### **मद संख्या 5: सुविधा प्रदाताओं के संबंध में स्थान के आवंटन/अभ्यर्पण के लिए सूचना:**

#### **5.1 मैसर्स गुडगांव इन्फोस्पेस लिमिटेड, विकासक**

5.1.1 मैसर्स गुडगांव इन्फोस्पेस लिमिटेड के अधिकृत प्रतिनिधि श्री संजय यादव और श्री अमरीक सिंह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक में शामिल हुए और रिकॉर्ड में जगह सौंपने का अनुरोध किया।

5.1.2 अनुमोदन समिति ने प्रस्ताव पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद ग्राम डूंडाहेड़ा सेक्टर-21, गुरुग्राम (हरियाणा), और 03.02.2022 को आयोजित बैठक में अनुमोदन समिति द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार आईटी/आईटीईएस विशेष आर्थिक क्षेत्र के प्रसंस्करण क्षेत्र में निम्नलिखित सुविधा प्रदाताओं द्वारा स्थान के आत्मसमर्पण के लिए मैसर्स गुडगांव इन्फोस्पेस लिमिटेड, विकासक द्वारा प्रस्तुत सूचना पर ध्यान दिया: -

| क्र.सं. | विक्रेता का नाम                       | आवंटित क्षेत्र एवं स्थान        | के लिए स्थान आवंटित किया गया                            | अनुमोदन की संख्या और तारीख                        | बीओए द्वारा अनुमोदित अधिकृत गतिविधि के तहत |
|---------|---------------------------------------|---------------------------------|---|---|--|
| i       | मैसर्स चुंबक डिज़ाइन प्राइवेट लिमिटेड | 507.00 वर्गफुट (47.10 वर्गमीटर) | 'उपहार/खुदरा दुकान' स्थापित करने और संचालित करने के लिए | सं. 10/103/2007-SEZ/ Vol-IV/391 दिनांक 21.08.2019 | शीपिंग आर्केड/ रिटेल स्पेस'                |

#### **5.2 मैसर्स डीएलएफ एसेट्स लिमिटेड, सह-विकासक डीएलएफ लिमिटेड विशेष आर्थिक क्षेत्र।**

5.2.1 मैसर्स डीएलएफ एसेट्स लिमिटेड के महाप्रबंधक श्री तिलक खुराना वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक में शामिल हुए और प्रस्ताव के बारे में बताया।

5.2.2 अनुमोदन समिति ने प्रस्ताव पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद, प्रसंस्करण क्षेत्र में ब्लॉक-बी के पास खुले क्षेत्र में एक कियोस्क के लिए लगभग 108 वर्ग फुट की जगह आवंटित करने के लिए सह-विकासक मैसर्स डीएलएफ एसेट्स लिमिटेड, ग्राम सिलोखेड़ा, सेक्टर-30, गुरुग्राम (हरियाणा) में डीएलएफ लिमिटेड आईटी/आईटीईएस विशेष आर्थिक क्षेत्र को कॉफी और खाने योग्य वस्तुओं की बिक्री के लिए 'कॉफी कार्ट' स्थापित करने और संचालित करने के लिए मैसर्स फॉर्च्यून कॉफी प्राइवेट लिमिटेड के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। यह विशेष आर्थिक क्षेत्र नियम, 2006 के नियम 11(5) के अनुसार विशेष आर्थिक क्षेत्र और वहां स्थित इकाइयों के कर्मचारियों की सुविधा के लिए है।

### **मद संख्या 6: विशेष आर्थिक क्षेत्र की संशोधित भवन योजना की स्वीकृति।**

#### **6.1 मैसर्स गुडगांव इन्फोस्पेस लिमिटेड (संशोधित भवन योजना) ।**

6.1.1 समिति को सूचित किया गया कि श्री हितेश शर्मा, वरिष्ठ नगर नियोजक (एम) (सीनियर टाउन प्लानर) मुख्यालय, कार्यालय डीटीसीपी हरियाणा, चंडीगढ़ ने मेमो नंबर विशेष आर्थिक क्षेत्र-46/जेडी(आरए)/2024/5461 दिनांक 13.02.2024 के माध्यम से टिप्पणियां/सिफारिशें भेजी हैं, ग्राम डूंडाहेड़ा, सेक्टर-21, गुरुग्राम (हरियाणा) में गुडगांव इन्फोस्पेस लिमिटेड आईटी/आईटीईएस विशेष आर्थिक क्षेत्र में आने वाली एमएलसीपी (बहुस्तरीय कार्ड पार्किंग) बिल्डिंग की संशोधित बिल्डिंग योजना की मंजूरी के लिए। उक्त ज्ञापन दिनांक 13.02.2024 की शर्त संख्या 17 में, यह उल्लेख किया गया है कि 'आवेदक ने आईटी के उपयोग के लिए भूतल (आंशिक रूप से) और

*सुरेंद्र मलिक*

चौथी मंजिल के संशोधन का प्रस्ताव दिया है और शेष को पहले दिए गए ओसी के अनुसार ही रखा है।' रिकॉर्ड के अनुसार, एमएलसीपी (बहुस्तरीय कार्ड पार्किंग) बिल्डिंग की '5वीं और 6वीं मंजिल' को आईटी गतिविधियों के लिए मंजूरी दी गई थी और बाकी मंजिलें पार्किंग उद्देश्य के लिए हैं। एसटीपी ने सिफारिश की है कि संशोधित भवन योजना को उनके उपरोक्त ज्ञापन दिनांक 13.02.2024 में उल्लिखित शर्तों के साथ अनुमोदित किया जा सकता है।

6.1.2 मेसर्स गुड़गांव इंफोस्पेस लिमिटेड के अधिकृत प्रतिनिधि श्री संजय यादव और श्री अमरीक सिंह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक में शामिल हुए और प्रस्ताव के बारे में बताया।

6.1.3 अनुमोदन समिति ने प्रस्ताव पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद वरिष्ठ नगर योजनाकार (एम) मुख्यालय, डीटीसीपी हरियाणा, चंडीगढ़ के कार्यालय से प्राप्त सिफारिश के आधार पर एमएलसीपी (बहुस्तरीय कार्ड पार्किंग) भवन के संशोधित भवन योजना के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। अनुमोदन सीनियर टाउन प्लानर (एम) मुख्यालय, ओ/ओ डीटीसीपी हरियाणा, चंडीगढ़ के मेमो नंबर विशेष आर्थिक क्षेत्र-46/जेडी(आरए)/2024/5461 दिनांक 13.02.2024 में उल्लिखित नियमों और शर्तों के अधीन है।

### **मद संख्या 7: परिसंपत्तियों के हस्तांतरण के लिए अनुमोदन का अनुसमर्थन:-**

#### **7.1 मैसर्स किड्रिल सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड।**

7.1.1 उचित विचार-विमर्श के बाद, अनुमोदन समिति ने लागू शुल्क के भुगतान पर विशेष आर्थिक क्षेत्र सह-विकासक को शुल्क मुक्त और शुल्क भुगतान फिट-आउट / कर संपत्तियों के हस्तांतरण के लिए मेसर्स किड्रिल सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड को दिनांक 24.01.2024 के पत्र के माध्यम से जारी 'अनापत्ति' की पुष्टि की।

अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक समाप्त हुई।

**सुरेंद्र मलिक**  
(सुरेंद्र मलिक)  
संयुक्त विकास आयुक्त

**अ. बिपिन मेनन**  
(ए. बिपिन मेनन)  
विकास आयुक्त